ॐ

विश्व हिन्दू परिषद

केन्द्रीय प्रबन्ध समिति बैठक - १४-१५ जुलाई, २०१०

कारसेवकपुरम, जानकीघाट, परिक्रमा मार्ग, अयोध्या (फैजाबाद) उ०प्र०

प्रस्ताव क्रमांक : ३

भगवान श्रीराम की पवित्र जन्मभूमि अयोध्या में आयोजित विश्व हिन्दू परिषद की केन्द्रीय प्रबंध समिति का यह उपवेशन मणिपुर के एक ईसाई पास्चर द्वारा तमिलनाडु की ईसाई संस्थाओं में असंवैधानिक रूप से बंधक बनाकर रखे गए 100 से अधिक बच्चों को मुक्त कराने के संबंध में 31 मार्च, 2010 को सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को जांच करने का जो आदेश दिया है उसका स्वागत करती है और पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक, आन्ध्र, केरल, झारखण्ड, प0बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, दिल्ली आदि राज्यों में हजारों बच्चों की बिक्री तथा उनके साथ अमानवीय व्यवहार और यौनाचार्य की जो सैकड़ों घटनाएं हुई है उनके विरूद्ध प्रभावी कठोर कार्यवाई करने के लिए केन्द्रीय गृहमंत्री से अपील करती है। प्रबंध समिति इस बात को गंभीरता से अनुभव करती है कि ईसाई संस्थाओं द्वारा संचालित सैकड़ों संस्थाओं द्वारा अपराधिक कार्यों के आरोप लगाए गए हैं। लगभग 8 वर्ष पूर्व कर्नाटक तथा आन्ध्र सरकारों द्वारा ऐसी घटनाओं की जांच के आदेश दिए गए थे। उनको श्रीमती सोनिया गांधी की छत्रछाया में चलने वाली सरकारों ने दबाने का प्रयास किया है, अतः बच्चों के साथ यौनाचार एवं बिक्री की घटनाएँ लगातार बढ़ रही है। गत 3 जून,2010 को पुणे से प्रकाशित टाइम्स आफ इंडिया एवं इंडियन एक्सप्रेस के सामाचारों के अनुसार एडस पीड़ित बच्चे की बिक्री का समाचार महाराष्ट्र एवं केन्द्रीय सरकार की अकर्मन्यता एवं ईसाई संस्थाओं के प्रति बरती जाने वाली ढुलमिल नीति का ज्वलंत उदाहरण है। अतः प्रबंध समिति प्रधानमंत्री से मांग करती है कि वे अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करके सम्पूर्ण देश में बच्चों के प्रति अपराधिक बर्ताव करनी वाली ऐसी संस्थाओं के विरूद्ध त्वरित रूप से कठोर कार्यवाही करें। तमिलनाडु में उपरोक्त घटनाओं की प्राथमिक जांच से जानकारी मिली है कि वहां ईसाई संस्थाएं 1096 (एक हजार छयानवे) उक्त प्रकार की संस्थाओं चिल्ड्रनस् होमस् का संचालन कर रही है। ऐसी रजिस्टर्ड संस्थाओं में साढे तीन लाख बच्चे हैं और साढे तीन लाख बच्चे अनरजिस्टर्ड संस्थाओं में रखे जाते हैं। सम्पूर्ण देश में खोज करने पर यह भी जानकारी मिली है कि देश में ऐसी लगभग 20 हजार संस्थाएं बच्चों को छात्रवासों में रखने का कार्य करती है जिनमें लगभग लाखों बच्चे रखे जाते हैं। इनमें 99 प्रतिशत बच्चे हिन्दू परिवारों से संबधित होते हैं जिनका धर्मान्तरण कर दिया जाता है। उनमें से कई हजार बच्चों को दत्तक देने के बहाने स्वदेश या विदेश में बेच दिया जाता है। सैकड़ों बच्चों को हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त नागालैण्ड, मिजोरम के ईसाई आतंकवादियों के सहयोगी बना दिया जाता है। अतः प्रबंध समिति प्रधानमंत्री से आग्रह करती है कि सर्वोच्च न्यायालय के 3 प्रमुख न्यायाधीशों

का संयुक्त आयोग गठित करके सम्पूर्ण देश में ऐसे अवैध कार्यों में लिप्त संस्थाओं और उनके संचालकों की उच्च स्तरीय जांच शीघ्र करने हेतु निर्देश दें।

विगत छः महिनों में अमेरिका, इंग्लैण्ड, इटली, जर्मनी आदि देशों में चर्च के पादरियों द्वारा चर्च के अन्दर एवं उनके द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में बच्चों के साथ की गई, हजारों यौनाचार की घटनायें समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं। वहां जिन हजारों बच्चों और महिलाओं को उनके द्वारा उत्पीड़ित किया गया है। उन्होंने लिखित एवं संचार माध्यमों के द्वारा वेटिकन के अधिकारियों एवं पोप के पास शिकायतें भेजी है। ऐसी सैकड़ों घटनायें भारत में भी लगातार हो रही है; किन्तु केन्द्रीय एवं अधिकांश राज्य सरकारें आंख और कान बन्द कर बैठी हुई हैं। अतः प्रबंध समिति का यह उपवेशन सरकारों की इस प्रकार की उपेक्षापूर्ण नीति की घोर निन्दा करती है और मांग करती है कि –

01. अपराधिक गतिविधियों में लिप्त सभी संस्थाओं को केन्द्र, राज्य एवं विदेशों से प्राप्त आर्थिक सहायता को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाए।

02. विदेशी माता –पिता को गोद देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।

03. स्वदेश में भी गोद देने के संबंध में केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें कठोर कानून बनायें। उन्हें शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही एवं कठोर नियंत्रण करने हेतु बाध्य किया जाए। निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के संचालकों और व्यक्तियों को कम से कम 10 वर्ष की कठोर सजा दी जाय।

प्रबंध समिति भारत की आम जनता से अपील करती है कि बच्चों के साथ दुराचार एवं अमानवीय व्यवहार करने वाली संस्थाओं का पूर्ण वहिष्कार करें एवं विश्व हिन्दु परिषद द्वारा इस संबंध में चलाये जाने वाले देशव्यापी जन –जागरण अभियान में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

प्रस्तावक : मोहन जोशी
अनुमोदक : मधुकर राव दीक्षित
प्रशान्त हरतालकर